

15.03.2023 वाद पुकारा गया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री जितेन्द्र सिंह रावत (फौजदारी) सरकार की ओर से उपस्थित आये। अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश कुकशाल उपस्थित आये। अभियुक्त भूरे सिंह को जिला कारागार पौड़ी से वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया। पी.डब्ल्यू.7 नरपाल, पी.डब्ल्यू.8 सतीश कुमार, पी.डब्ल्यू.9 सुल्तान एवं पी.डब्ल्यू. 10 राहुल कुमार का साक्ष्य अंकित किया गया।

पत्रावली वास्ते शेष अभियोजन साक्ष्य दिनांक 05.04.2023 को पेश हो।

प्रतिभा तिवारी
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोटद्वार गढ़वाल।